Dawaton Ke Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

दा'वतों के बारे में सुवाल जवाब

प्यारे आक़ा के वलीमों की कैफ़िय्यत 2

पैसे न हों तो वलीमा कैसे करें ? 3

बिग़ैर दा'वत खाना कैसा ? 6

शादी होल में गाने बज रहे हों तो.....? 9

ज़ियादा डिश बनाना कैसा ? 12

वलीमे की 8 निय्यतें 13

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : बरोजे़ कि़यामत लोगों में से मेरे क़रीब तर वोह होगा जिस ने दुन्या में मुझ पर जि़यादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (ترمذی)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ़

अज़ : शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाजे़ खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुजु़र्गी वाले ।

(اَلْمُستطرَف ج۱ ص۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आखि़र एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

कि़यामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से जि़यादा ह़सरत कि़यामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया) । (تاریخ دمشق لابن عَساکِر ج ۵۱ ص ۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़ह़ात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये ।

दा'वतों के बारे में सुवाल जवाब

येह रिसाला (**दा'वतों के बारे में सुवाल जवाब**)

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ईमेल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

हुरूफ़ की पहचान

फ = ف	प = پ	भ = ھ	ब = ب	अ = ا
स = ث	ठ = ٹھ	ट = ٹ	थ = تھ	त = ت
ह़ = ح	छ = چھ	च = چ	झ = جھ	ज = ج
ढ = ڈھ	ड = ڈ	ध = دھ	द = د	ख़ = خ
ज़ = ز	ढ़ = ڑھ	ड़ = ڑ	र = ر	ज़ = ذ
ज़ = ض	स = ص	श = ش	स = س	ज़ = ظ
फ़ = ف	ग़ = غ	अ़ = ع	ज़ = ظ	त़ = ط
घ = گھ	ग = گ	ख = کھ	क = ک	क़ = ق
ह = ھ	व = و	न = ن	म = م	ल = ل
ई = ای / ی	इ = ا	ऐ = ے	ए = ے	य = ی

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 98987 32611 • E-mail : hindibook@dawateislamihind.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

दा'वतों के बारे में सुवाल जवाब

या अल्लाह पाक ! जो रिसाला ''दा'वतों के बारे में सुवाल जवाब'' के 18 सफ़हात पढ़ या सुन ले उस को जन्नतुल फ़िरदौस में अपने महबूब صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के पड़ोस में ख़ूब ने'मतें खिला । आमीन ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **:** जिस ने मुझ पर दिन में **एक हज़ार मरतबा दुरूदे पाक** पढ़ा, वोह मरेगा नहीं जब तक **जन्नत** में अपना ठिकाना न देख ले । **(الترغیب والترھیب ج۲ ص۳۲۸ حدیث۲۲)**

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

सुवाल : वलीमा किसे कहते हैं ?

जवाब : वलीमा येह है कि शबे ज़िफ़ाफ़ (या'नी शादी के बा'द पहली रात मियां बीवी के मिलाप) के बा'द सुब्ह़ को अपने दोस्त व अह़बाब, अ़ज़ीज़ो अक़ारिब और मह़ल्ले के लोगों की ह़स्बे इस्तिताअ़त ज़ियाफ़त (या'नी दा'वत) करे । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 391) **अल्लाह** करीम के आख़िरी नबी मुह़म्मदे अ़रबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ से फ़रमाया **:** **اَوۡلِمۡ وَلَوۡ بِشَاۃٍ** या'नी **वलीमा** करो अगर्चे एक बकरी से ही हो । **(مسلم ص۷۴۱ حدیث ۱۴۲۷)**

सुवाल : क्या **वलीमा** सुन्नत है ?

जवाब : जी हां ! दा'वते **वलीमा** सुन्नत है। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 391)

प्यारे आक़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के वलीमों की कैफ़िय्यत

सुवाल : रसूले पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने अपने **वलीमे** किस त़रह़ किये ?

जवाब : अल्लाह पाक के प्यारे रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने अपनी अज़्वाजे मुत़ह्हरात (या'नी पाक बीवियों) में से ﴾1﴿ ह़ज़रते सय्यिदतुना ज़ैनब बिन्ते जह़्श رَضِیَ اللهُ عَنْهَا के **वलीमे** में लोगों को पेट भर कर रोटियां और गोश्त खिलाया था।[1] ﴾2﴿ ह़ज़रते सय्यिदतुना सफ़िय्या رَضِیَ اللهُ عَنْهَا से शादी के बा'द दौराने सफ़र **वलीमा** किया जिस में दस्तर ख़्वान पर खजूरें, पनीर और घी रखा गया।[2] दूसरी रिवायत में है : ह़ज़रते सय्यिदतुना सफ़िय्या رَضِیَ اللهُ عَنْهَا पर ह़रीसे से वलीमा किया।[3] अहले अ़रब खजूर व मख्खन, छुहारे और घी मिला कर खाते हैं, इसे **ह़ैस** कहा जाता है, आज कल इसे **ह़रीसा** भी कहा जाता है ह़रीसा बहुत सी क़िस्म का होता है, मुख़्तलिफ़ त़रीक़ों और मुख़्तलिफ़ चीज़ों से बनाया जाता है। (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 5, स. 73)

सुवाल : वलीमा कितने दिन तक हो सकता है ?

जवाब : दा'वते वलीमा (शबे ज़िफ़ाफ़ के बा'द) सिर्फ़ पहले दिन है या इस के बा'द दूसरे दिन भी या'नी दो ही दिन तक येह **दा'वत** हो सकती है, इस के बा'द **वलीमा** और शादी ख़त्म। पाक व हिन्द में **शादियों** का सिल्सिला कई दिन तक क़ाइम रहता है। सुन्नत से आगे बढ़ना **रिया व**

[1] بخاری ج۳ص۳۰۶حدیث۴۷۹۴ملخصًا [2] بخاری ج۳ص۴۵۰حدیث۵۱۵۹ملخصًا [3] بخاری ج۳ص۴۵۳حدیث۵۱۶۹ملخصًا

सुम्अ़ा (या'नी दिखाना और सुनाना) है इस से बचना ज़रूरी है । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 392) सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : (शादियों में) पहले दिन का खाना ह़क़ है (या'नी साबित है, इसे करना ही चाहिये) और दूसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना सुम्अ़ा है (या'नी सुनाने और शोहरत के लिये है) जो सुनाने के लिये कोई काम करेगा, **अल्लाह** पाक उस को सुनाएगा ।[1] या'नी इस की सज़ा देगा ।

(बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 389)

पैसे न हों तो वलीमा कैसे करें ?

सुवाल : जिस के पास वलीमा करने के लिये पैसे न हों वोह क्या करे ?

जवाब : वलीमे के लिये लोगों की भीड़ करना **शर्त़** न पन्दरह क़िस्म की डिशें बनाने की ह़ाजत, ह़स्बे ह़ैसिय्यत दाल चावल या गोश्त वग़ैरा जो भी **खाना** आप पेश कर सकते हैं, पेश कर दीजिये **वलीमा** हो जाएगा, दो तीन दोस्त या रिश्तेदार हों तो भी **वलीमा** हो सकता है । ''फ़तावा अम्जदिय्या'' में है : दा'वते सुन्नत के लिये किसी ज़ियादा एहतिमाम की ज़रूरत नहीं अगर दो चार लोगों को कुछ मा'मूली चीज़ अगर्चे पेट भर न हो अगर्चे दाल रोटी, चटनी रोटी हो या इस से भी कम खिला दें **सुन्नत** अदा हो जाएगी । (फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 4, स. 224) ''फ़तावा बह़रुल उ़लूम'' में है : दा'वते वलीमा करना ज़रूर मस्नून (सुन्नत) है लेकिन न तो ज़रूरी और लाज़िम है न पूरी बिरादरी के लोगों को खाना खिलाने की शर्त़, चार आदमियों को खाना खिला देने से भी दा'वते वलीमा की सुन्नत अदा हो जाती है । (फ़तावा बह़रुल उ़लूम, जि. 3,

مــــــدينـــه

۱: ترمذی ج۲ ص۳۴۹ حدیث۱۰۹۹

स. 443) "मिरआतुल मनाजीह़" में है : **वलीमा** ब क़दरे त़ाक़ते ज़ौज (या'नी दूल्हे की ह़ैसिय्यत के मुत़ाबिक़) हो इस के लिये मिक़्दार मुक़र्रर नहीं। (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 5, स. 72)

क्या एडवान्स में वलीमा कर सकते हैं ?

सुवाल : बहन की शादी में बारात का खाना है और भाई की बारात अगले दिन जाएगी, ऐसी सूरत में क्या उसी खाने पर एडवान्स में **वलीमा** हो सकता है ?

जवाब : रुख़्सत से पहले जो दा'वत की जाए **वलीमा** नहीं, यूंही बा'दे रुख़्सत क़ब्ले ज़िफ़ाफ़ (या'नी रुख़्सती के बा'द "मिलाप" से पहले भी **वलीमा** नहीं होगा)। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 11, स. 256)

वलीमा सुन्नते मुस्तह़ब्बा है

सुवाल : वलीमा किया ही नहीं या एडवान्स में कर लिया तो क्या ऐसे लोग गुनाहगार होंगे ?

जवाब : नहीं। (ऐसे लोग) तारिकाने सुन्नत (या'नी सुन्नत छोड़ने वाले) हैं, मगर येह (या'नी वलीमा) सुनने मुस्तह़ब्बा से है, (या'नी ताकीदी सुन्नत नहीं) तारिक (या'नी न करने वाला) गुनहगार न होगा अगर इसे ह़क़ जाने। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم (फ़तावा रज़विय्या, जि. 11, स. 278)

वलीमे की दा'वत क़बूल करना सुन्नते मुअक्कदा है

सुवाल : क्या **वलीमे** की दा'वत क़बूल करने की ताकीद है ?

जवाब : जी हां। **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जब

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया। (ابن سنی)

तुम में से कोई **वलीमे** की त़रफ़ बुलाया जाए तो वहां जाए। (بخاری ج۳ ص٤٥٤ حدیث ٥١٧٣) आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه लिखते हैं : दा'वते वलीमा का क़बूल करना **सुन्नते मुअक्कदा** है जब कि वहां कोई मा'सियत (या'नी **अल्लाह** पाक की ना फ़रमानी) मिस्ले मज़ामीर (या'नी गाने बाजे) वग़ैरहा न हो, न और कोई मानेए़ शरई (या'नी शरई रुकावट) हो, और इस का क़बूल वहां जाने में है, खाने न खाने का इख़्तियार है। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 21, स. 655) एक जगह लिखते हैं : दा'वते वलीमा में बिला उ़ज़्रे शरई न जाना मक्रूह (है)।

(फ़तावा रज़विय्या, जि. 21, स. 660 मुलख़्ख़सन)

क्या हर दा'वत क़बूल करना सुन्नत है ?

सुवाल : क्या **वलीमे** के इलावा आ़म दा'वतें क़बूल करना भी **सुन्नत** है ?

जवाब : आ़म दा'वतों का क़बूल अफ़्ज़ल है जब कि न कोई मानेअ़ (रुकावट) हो न कोई उस से ज़ियादा अहम काम हो, और ख़ास उस की कोई दा'वत करे तो क़बूल करने न करने का उसे मुत़्लक़न (या'नी बिल्कुल) इख़्तियार है।[1] **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब तुम में से कोई खाने के लिये बुलाया जाए तो क़बूल करे फिर अगर चाहे खा ले और अगर चाहे छोड़ दे।[2] मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मत़लब येह है कि हर जाइज़ दा'वत में जाना बेहतर है खाने न खाने का इख़्तियार है क्यूं कि न जाने से लोग (बा'ज़ अवक़ात) मुतकब्बिर (या'नी मग़रूर) कहते हैं, और इस से अ़दावत (व दुश्मनी) पैदा होने का

1 : फ़तावा रज़विय्या, जि. 21, स. 655, 2 : مسلم ص٧٤٩ حدیث ١٤٣٠

www.dawateislami.net

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर सुब्ह़ व शाम दस दस बार दुरूदे पाक पढ़ा उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअ़त मिलेगी। (مجمع الزوائد)

ख़त़रा (रहता) है, जमाअ़त (या'नी ख़ानदान व अह़बाब वग़ैरा) में मिलजुल कर रहना चाहिये।[1]

दो तीन दा'वत एक साथ मिल जाएं तो......

सुवाल : अगर एक ही वक़्त में दो तीन जगह से दा'वते वलीमा मिल जाए तो किस में शरीक हो ?

जवाब : रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब दो शख़्स दा'वत देने एक ही वक़्त आएं तो जिस का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े से क़रीब हो उस की दा'वत क़बूल करो और अगर एक पहले आया तो जो पहले आया उस की क़बूल करो। **(ابوداؤد ج۳ص۴۸۴ حدیث۳۷۵۶)**

बिग़ैर दा'वत खाना कैसा ?

सुवाल : दा'वते वलीमा में "बिन बुलाया मेहमान" बनना और खाना खाना कैसा ?

जवाब : वलीमा हो या कोई और ख़ुसूसी दा'वत, बिग़ैर दा'वत के उस में घुस जाना और खा लेना गुनाह, ह़राम व जहन्नम में ले जाने वाला काम है। **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो बिग़ैर बुलाए (या'नी दा'वत के बिग़ैर) गया वोह चोर हो कर घुसा और ग़ारत गरी कर के निकला।

(ابوداؤد ج۳ص۴۷۹ حدیث ۳۷۴۱)

बिग़ैर दा'वत नियाज़ का खाना खाए या नहीं ?

सुवाल : क्या बुज़ुर्गों की नियाज़ का खाना भी बिग़ैर दा'वत नहीं खा सकते ?

जवाब : इस की दो सूरतें हैं : ﴾1﴿ अगर किसी ने नियाज़ के खाने की

मदीना

1 : मिरआत, जि. 5, स. 75

आ़म दा'वत नहीं दी बल्कि मख़्सूस अफ़राद को कहा है या दा'वत के कार्ड दिये हैं तो वोही जा सकते हैं, दूसरा घुस कर खा लेगा तो गुनाहगार होगा ﴿2﴾ अगर लंगरे आ़म है तो सब खा सकते हैं।

महफ़िले ना'त में बिग़ैर दा'वत के खाना

सुवाल : अगर किसी ने निजी (या'नी प्राइवेट) तौ़र पर मसलन शादी वग़ैरा में महफ़िले ना'त का एहतिमाम किया और वहां खाने का भी इन्तिज़ाम हो तो बिग़ैर दा'वत के जाए या नहीं ?

जवाब : येह दा'वत भी अगर मख़्सूस अफ़राद के लिये है तो बिन बुलाए जा कर खाने की इजाज़त नहीं और अगर दा'वते आ़म है तो इजाज़त है।

जिसे दा'वत न हो उसे साथ ले जाना

सुवाल : क्या दा'वत में बुलाया जाने वाला मेहमान अपने साथ किसी और को ले जा सकता है ?

जवाब : नहीं, अगर ले जाना चाहे तो पहले मेज़बान से इजाज़त ले ले, बल्कि मैं तो मश्वरा दूंगा कि इजाज़त मांग कर मेज़बान को आज़्माइश में न डाले। कि शायद उसे मुरव्वत में इजाज़त देनी पड़ेगी और हो सकता है उस की गुन्जाइश कम हो या जिस के लिये इजाज़त त़लब की जा रही है मेज़बान उस को पसन्द न करता हो।

बच्चों को साथ ले जा सकते हैं या नहीं ?

सुवाल : तो क्या बच्चों को भी नहीं ले जा सकते ?

जवाब : बड़ी दा'वतों में अपने दो एक बच्चे साथ ले जाना जाइज़ है जब

कि येह भी ऐसी जगह हो जहां ऐसा करने का उ़र्फ़ है वरना बच्चे ले जाना भी मन्अ़ है और ख़ानदान के बच्चों की पल्टन ले कर तो कहीं भी न जाए।

पीर साहिब के साथ मुरीद जा सकता है या नहीं ?

सुवाल : अगर किसी आ़लिम, मुफ़्ती या पीर साहिब को दा'वत मिले और उन का शागिर्द या मुरीद वग़ैरा भी उन के साथ बिला इजाज़त दा'वत में पहुंच जाए तो उन्हें क्या करना चाहिये ?

जवाब : इन ह़ज़रात को चाहिये कि ऐसे शख़्स को ह़िक्मते अ़मली से ख़ुद ही मन्अ़ कर दें क्यूं कि मेज़बान मुरव्वत के सबब मन्अ़ नहीं कर सकेगा और अगर दा'वत में ले जाना चाहें तो पहले मेज़बान (या'नी जिस ने दा'वत की है उस) से इजाज़त ले लें, ''बुख़ारी शरीफ़'' में है कि एक अन्सारी जिन की कुन्यत अबू शुऐ़ब थी, उन्हों ने अपने ग़ुलाम से कहा कि पांच आदमियों जितना खाना पकाओ, मैं नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की चार अस्ह़ाब समेत दा'वत करूंगा। लिहाज़ा थोड़ा सा खाना तय्यार किया और हुज़ूरे अकरम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) को बुलाने ह़ाज़िर हुए, एक शख़्स हुज़ूरे पाक (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) के साथ हो लिये, नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने (दा'वत देने वाले से) फ़रमाया : अबू शुऐ़ब ! हमारे साथ येह शख़्स चला आया, अगर तुम चाहो तो इसे इजाज़त दो और चाहो तो न दो। उन्हों ने अ़र्ज़ की : मैं ने इन को इजाज़त दी। (بخاری ج۳ ص۵۴۳ حدیث ۵۴۶۱) मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इस ह़दीसे पाक के तह़्त लिखते हैं : या'नी अगर किसी की दा'वत हो और उस के साथ कोई दूसरा शख़्स बिग़ैर बुलाए चला आए तो ज़ाहिर कर दे कि मैं नहीं लाया

हूं और साहिबे ख़ाना को इख़्तियार है, उसे खाने की इजाज़त दे या न दे, क्यूं कि ज़ाहिर न करेगा तो साहिबे ख़ाना को ये ना गवार होगा कि अपने साथ दूसरों को क्यूं लाया ! (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 390)

बॉडीगार्ड साथ जा सकते हैं या नहीं ?

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात मेज़बान को भी मा'लूम होता है कि फ़ुलां मेहमान के साथ दो चार अफ़राद इज़ाफ़ी आएंगे, क्या ऐसी सूरत में वोह मेहमान किसी को साथ ले जा सकता है ?

जवाब : जैसा उ़र्फ़ (या'नी मा'मूल) वैसा अ़मल, अगर ख़ास इसी शख़्स की खाने की दा'वत है तो एक हों या चार, पेश्गी पूछ लेना मुनासिब, और अगर नियाज़ वग़ैरा है तो उ़र्फ़ के मुताबिक़ अ़मल करें, ऐसा न हो कि उ़र्फ़ चार पांच लोगों का हो और पन्दरह बीस अफ़राद की फ़ौज साथ ले कर पहुंच जाएं। मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : बुलाया हुवा आदमी (या'नी जिसे दा'वत हो वोह) भी अपने साथ किसी ना ख़्वांदा (या'नी बिन बुलाए) को न ले जाए इल्ला बिलउ़र्फ़ (मगर जैसा उ़र्फ़ व मा'मूल हो) चुनान्चे बादशाह (या जिस के साथ गार्ड होते हों उस) की दा'वत में उस का बॉडीगार्ड अ़मला (साथ) जा सकता है कि अब इस पर उ़र्फ़ क़ाइम है। (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 5, स. 76)

शादी हॉल में गाने बज रहे हों तो.....?

सुवाल : अगर वलीमे या किसी और दा'वत में मूसीक़ी बजाई जाए तो ?

जवाब : दा'वत में जाना उस वक़्त सुन्नत है जब मा'लूम हो कि वहां गाना बजाना, लह्वो लइ़ब नहीं है और अगर मा'लूम है कि येह **ख़ुराफ़ात** (गुनाहों भरी ह़रकतें) वहां हैं तो न जाए। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 392)

जो गुनाह रोक सकता है उस का मस्अला

सुवाल : अगर किसी को येह मा'लूम हो कि उस के जाने से वहां पर गुनाहों भरे काम रुक जाएंगे तो अब जाए या न जाए ?

जवाब : अगर वहां लह्वो लइब (मसलन गाना बजाना) हो और येह शख़्स जानता है कि मेरे जाने से येह चीज़ें **बन्द** हो जाएंगी तो उस को इस निय्यत से जाना चाहिये कि उस के जाने से मुन्करात शर्इय्या (या'नी गुनाहों के काम) रोक दिये जाएंगे। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 392)

पहले से मा'लूम न था फिर गाने शुरूअ़ हो गए तो ?

सुवाल : अगर पहले से मा'लूम न था और दा'वत में चला गया फिर वहां मूसीक़ी चलाई गई तो क्या करे ?

जवाब : जाने के बा'द मा'लूम हुवा कि यहां लग़्वियात (मसलन गाने बाजे, बे पर्दगी वग़ैरा ना जाइज़ ह़रकतें) हैं, अगर वहीं येह चीज़ें हों तो **वापस** आए और अगर मकान के दूसरे ह़िस्से में हैं जिस जगह खाना खिलाया जाता है वहां नहीं हैं तो वहां **बैठ** सकता है और खा सकता है फिर अगर येह शख़्स उन लोगों को (गाने बाजों से) रोक सकता है तो **रोक** दे और अगर इस (या'नी रोकने) की क़ुदरत उसे न हो तो सब्र करे, येह इस सूरत में है कि येह शख़्स मज़्हबी पेश्वा न हो। और अगर मुक़्तदा व पेश्वा हो, मसलन उ़लमा व मशाइख़, येह अगर न रोक सकते हों तो वहां से **चले** आएं न वहां बैठें न खाना खाएं और पहले ही से येह मा'लूम हो कि वहां येह चीज़ें हैं तो मुक़्तदा (या'नी पेश्वा) हो या न हो किसी (आ़म मुसल्मान) को (भी) जाना **जाइज़** नहीं, अगर्चे ख़ास उस ह़िस्सए मकान में येह चीज़ें न हों बल्कि दूसरे ह़िस्से में हों। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 392)

क़ब्रिस्तान से आने वाली ख़ौफ़नाक आवाज़ (हिकायत)

हज़रते सय्यिदुना सईद बिन हाशिम सुलमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : बस्ती के एक शख़्स ने अपनी बेटी की शादी के मौक़अ पर अपने घर में नाचरंग की महफ़िल की, उस घर के साथ ही क़ब्रिस्तान था, रात को जब येह महफ़िल अपने जोबन पर थी कि अचानक लोगों ने क़ब्रिस्तान से एक ख़ौफ़नाक आवाज़ सुनी जिस से उन के दिल दहल गए और वोह ऐसे ख़ामोश हुए गोया उन्हें सांप सूंघ गया हो, फिर क़ब्रिस्तान से एक ग़ैबी आवाज़ सुनी कि :

يَا اَهْلَ لَذَّةٍ لَهْوٍ لَاتَدُوْمُ لَهُمْ اِنَّ الْمَنَايَا تُبِيْدُ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَا

كَمْ قَدْ رَاَيْنَاهُ مَسْرُوْرًا بِلَذَّتِهٖ اَمْسٰى فَرِيْدًا مِّنَ الْاَهْلِيْنَ مُغْتَرِبَا

तरजमा : ऐ नाचरंग की लज़्ज़तों में बद मस्त होने वालो ! बेशक मौत खेलकूद को ख़त्म कर देती है, कितने ही ऐसे थे जिन्हें हम ने इस लज़्ज़त में गुम देखा मगर वोह अपने साथियों से जुदा हो कर दुन्या छोड़ गए।

ख़ुदा की क़सम ! अभी चन्द ही दिन गुज़रे थे कि **दूल्हे** का इन्तिक़ाल हो गया।

(الهواتف مع موسوعة ابن ابى الدنيا ج٢ص٤٥٩ حديث ٤٨)

रियाकाराना वलीमा

सुवाल : अगर इस लिये **दा'वते वलीमा** की, कि दोस्तों और बिरादरी में ख़ूब वाह वा होगी तो क्या सुन्नत पर अमल का सवाब मिलेगा ?

जवाब : रिया व नामवरी के क़स्द (या'नी इरादे) से जो कुछ हो **हराम** है। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 11, स. 256) ऐसी दा'वत में शरीक होना भी

बेहतर नहीं है, ''बहारे शरीअ़त'' में है : (वलीमे की) दा'वत करने वालों का मक़्सूद (या'नी निय्यत) **अदाए सुन्नत** हो और अगर मक़्सूद (या'नी निय्यत) तफ़ाख़ुर (या'नी फ़ख़्र करना) हो या येह कि मेरी **वाह वा** होगी जैसा कि इस ज़माने में अक्सर येही देखा जाता है, तो ऐसी दा'वतों में (जाना जाइज़ तो है मगर) न शरीक होना **बेहतर** है ख़ुसूसन अहले इ़ल्म को ऐसी जगह न जाना चाहिये। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 392) ख़याल रहे ! येह फ़ैसला करना हर एक का काम काम नहीं कि मेज़बान ने येह दा'वत फ़ख़्र जताने और वाह वा करवाने के लिये की है, मुसल्मान के बारे में हुस्ने ज़न (या'नी अच्छी सोच) रखना चाहिये।

ज़ियादा डिश बनाना कैसा ?

सुवाल : क्या वलीमे में खाने की ज़ियादा डिशिज़ बनाना फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं ?

जवाब : वलीमे की दा'वत के लिये ग़िज़ाओं की मिक़्दार मुक़र्रर नहीं, चाहे एक डिश हो या सो डिशिज़, जब कि उन का इस्ति'माल मौजूद है और ज़ाएअ़ नहीं करता तो जाइज़ है अलबत्ता निय्यत अच्छी होनी चाहिये। आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : खाना निय्यते महमूदा (या'नी अच्छी निय्यत) से हो तो इसराफ़ (या'नी फ़ुज़ूल ख़र्ची) नहीं और **रिया** व तफ़ाख़ुर (या'नी दिखावे और फ़ख़्र) के लिये हो तो ह़राम। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم (फ़तावा रज़विय्या, जि. 21, स. 662) लेकिन येह हमेशा याद रखें कि सादगी और ए'तिदाल को हर जगह पेशे नज़र रखना बहुत उ़म्दा है।

वलीमे पर लाखों रुपै ख़र्च करना कैसा ?

सुवाल : वलीमे के खाने में (चन्द घन्टों के अन्दर) लाखों लाख रुपै ख़र्च हो जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं ?

जवाब : ऐसा करना जाइज़ तो है मगर हर काम में मियाना रवी (या'नी न कमी न ज़ियादती) होनी चाहिये। ताहम कोई कम डिशिज़ बना कर बक़िय्या रक़म दीनी या क़ौमी ख़िदमत के लिये बत़ौरे अ़त़िय्या पेश कर दे तो इस से नेकनामी होती है। मगर नेकनामी के लिये ऐसा न करे, रक़म बचा कर सिर्फ़ रिज़ाए इलाही के लिये दीनी कामों या अपनी बिरादरी वग़ैरा के ग़रीबों पर ख़र्च करे कि बेशक येह एक अ़ज़ीम नेकी है, इस त़रह़ करने वाले को कोई बुरा भला नहीं कहता, बल्कि येह काम लाइक़े तक़्लीद क़रार पाता है। लिहाज़ा जिस से बन पड़े वोह शादी की तक़रीबात से रक़म बचा कर दीनी और समाजी नेक कामों में ख़र्च करे।

"आठ जन्नतें" के आठ ह़ुरूफ़ की निस्बत से वलीमे की 8 निय्यतें

(वलीमे के इ़लावा कोई और दा'वत हो तब भी इन में से ह़स्बे ह़ाल निय्यतें की जा सकती हैं)

सुवाल : क्या वलीमे या किसी और दा'वत में बहुत सारी डिशिज़ बना कर खिलाने में सवाब कमाने की भी **निय्यतें** की जा सकती हैं ?

जवाब : क्यूं नहीं, उ़म्दा ग़िज़ाएं खाने से उ़मूमन सभी ख़ुश होते हैं, ख़ुसूसन ग़रीब लोगों को शाज़ो नादिर ही इस त़रह़ के क़ीमती खाने नसीब होते हैं, बिला शुबा इस में **अच्छी निय्यतें** कर के जो जितनी ज़ियादा उ़म्दा ग़िज़ाएं खिलाएगा उतना ज़ियादा सवाब का ह़क़दार होगा। لَا اِسْرَافَ فِی الْخَیْر

या'नी भलाई में इसराफ़ नहीं। चन्द निय्यतें पेश करता हूं, ह़स्बे ह़ाल इन में कमी बेशी की जा सकती है।

(1) **वलीमे की सुन्नत अदा कर रहा हूं।** ताजदारे रिसालत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने मेरी सुन्नत को ज़िन्दा किया उस ने मुझ से मह़ब्बत की और जिस ने मुझ से मह़ब्बत की वोह क़ियामत के दिन मेरे साथ होगा। (ترمذی ج٤ص٣٠٩حدیث٢٦٨٧)

(2) **मुसल्मानों को खाना खिलाने के सवाब का ह़क़दार बनूंगा,** खाना खिलाने की फ़ज़ीलत पर चार **फ़रामीने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : ﴿1﴾ तुम में से बेहतर वोह है जो खाना **खिलाता** है। (مسند امام احمد ج٩ص٢٤١حدیث٢٣٩٨٤) ﴿2﴾ जो अपने मुसल्मान भाई की भूक को मिटाने का एहतिमाम करे और उसे खाना **खिलाए** यहां तक कि वोह सेर हो जाए तो **अल्लाह** पाक उस की मग़्फ़िरत फ़रमा देगा[1] ﴿3﴾ रह़मान की इ़बादत करो और खाना खिलाओ और सलाम फैलाओ जन्नत में चले जाओ[2] ﴿4﴾ जो किसी मुसल्मान को भूक में खाना खिला कर सेर कर दे तो **अल्लाह** पाक उसे जन्नत में उस दरवाज़े से दाख़िल फ़रमाएगा जिस में से ऐसे ही लोग दाख़िल होंगे। (معجم کبیر ج٢٠ص٨٥ حدیث ١٦٢)

(3) **लोगों से उन के मन्सब के मुत़ाबिक़ सुलूक करूंगा। ह़िकायत :** एक बार उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते आ़इशा رَضِیَ اللهُ عَنْهَا के पास से एक साइल गुज़रा तो उन्हों ने उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दिया फिर एक शख़्स गुज़रा जिस ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे तो उसे बिठा कर खाना खिलाया, उन से इस के मुतअ़ल्लिक़ पूछा गया तो फ़रमाया कि **रसूलुल्लाह**

[1] مسند ابو یعلی ج٣ص٢١٤حدیث٣٤٥٧ملخصًا [2] مسند للامام احمد ج٢ص٥٧٧حدیث٦٥٩٨

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है : **اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ۔** या'नी ''लोगों के मर्तबे का लिहाज़ रखा करो।''[1]

(4) **मुसल्मानों का दिल ख़ुश करूंगा।** दा'वत में आने वालों का मुनासिब इस्तिक़्बाल करने और मुस्कुरा कर खाना वग़ैरा पेश करने से उन का दिल ख़ुश होगा और **अल्लाह** की रह़मत से आप को इस का भी सवाब मिलेगा। **दो फ़रामीने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : (1) ''**अल्लाह** पाक के नज़्दीक फ़राइज़ की अदाएगी के बा'द सब से अफ़्ज़ल अ़मल मुसल्मान के दिल में ख़ुशी दाख़िल करना है।'' (معجم کبیر ج۱۱ص۷۱حدیث۱۱۰۷۹) (2) ''बेशक मग़्फ़िरत को वाजिब कर देने वाली चीज़ों में से तेरा अपने मुसल्मान भाई का दिल ख़ुश करना भी है।'' (معجم اوسط ج۶ص۱۲۹حدیث۸۲۴۵) ह़ज़रते सय्यिदुना बिश्र ह़ाफ़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه का क़ौल है : किसी मुसल्मान का दिल ख़ुश करना 100 (नफ़्ली) ह़ज से बेहतर है। (کیمیائے سعادت ج۲ص۷۵۱)

(5) **रिश्तेदारों के साथ सिलए रेह़मी करूंगा।** सिलए रेह़म का मा'ना ''रिश्ते को जोड़ना'' है, या'नी रिश्ते वालों के साथ नेकी और (ह़ुस्ने) सुलूक करना (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 558) **दो फ़रामीने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : (1) रिश्ते जोड़ने से घर वालों में मह़ब्बत, माल में बरकत और उ़म्र में दराज़ी होती (या'नी उ़म्र बढ़ती) है[2] (2) जो चाहे कि उस के रिज़्क़ में वुस्अ़त दी जाए और उस की मौत में देर की जाए तो वोह सिलए रेह़मी करे।[3]

(6) **उ़लमाए किराम की ता'ज़ीम करूंगा।** ख़ुशदिली के साथ ह़ाज़िर हो कर उ़लमाए किराम की ख़िदमत में दा'वत पेश करना, उन की ता'ज़ीम बजा लाना, उन को एह़तिराम के साथ गाड़ी में ले आना, बाल

[1] ابوداؤد ج۴ص۳۴۳حدیث۴۸۴۲ [2] ترمذی ج۳ص۳۹۴حدیث ۱۹۸۶ [3] بخاری ج۴ص۹۷حدیث۵۹۸۵

www.dawateislami.net

बच्चों के लिये कुछ खाना साथ दे कर वापस पहुंचाना, उन को नज़राना पेश करना वग़ैरा सब सवाबे अ़ज़ीम का काम हैं। ह़दीसे पाक में है : उ़लमा की ता'ज़ीम करो क्यूं कि वोह अम्बियाए किराम (عَلَيْهِمُ السَّلَام) के वारिस हैं।[1]

(7) **नेक बन्दों का दीदार करूंगा।** इमाम ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : (ता'ज़ीम की निय्यत से) उ़लमाए किराम और नेक लोगों के चेहरे की ज़ियारत करना इ़बादत है, इन की ज़ियारत से बरकत ह़ासिल की जाती है। (احیاء العلوم ج۲ ص۳۰۹ ملخصًا)

(8) **सादाते किराम का एह़तिराम करूंगा।** ह़ुसूले बरकत के लिये ख़ुसूसी त़ौर पर सादाते किराम का इस्तिक़्बाल करूंगा। रह़मते आ़लम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने शफ़ाअ़त निशान है : "चार लोग ऐसे हैं जिन की मैं क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त करूंगा : (1) मेरी औलाद की इ़ज़्ज़तो तक्रीम करने वाला (2) उन की ज़रूरतें पूरी करने वाला (3) जब वोह मजबूर हो कर उस के पास आएं तो उन के मुआ़मलात के लिये भागदौड़ करने वाला (4) दिल व ज़ुबान दोनों से उन के साथ मह़ब्बत करने वाला।"

(جمع الجوامع ج۱ ص۳۸۰ حدیث ۲۸۰۹)

सिर्फ़ मालदारों को दा'वत देना कैसा ?

सुवाल : वलीमे वग़ैरा की दा'वतों में सिर्फ़ अपने हमपल्ला अमीर लोगों को बुलाना और ग़रीबों को दा'वत न देना कैसा ?

जवाब : दा'वते वलीमा में अमीरों को बुलाना ग़रीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों वग़ैरा को नज़र अन्दाज़ कर देना उन की दिल शिकनी का सबब बन

[1] ابن عساکر ج۳۷ ص۱۰۴

सकता है चुनान्चे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : ज़िन्हार, ज़िन्हार (या'नी ख़बरदार, हरगिज़) ऐसा न करें कि (दा'वत में सिर्फ़) खाते पीतों को बुलाएं, मोह़ताजों को छोड़ें (ह़ालां) कि ज़ियादा मुस्तह़िक़ वोही हैं और उन्हें इस (या'नी खाना खाने) की ह़ाजत है तो उन का छोड़ना उन्हें ईज़ा देना और दिल दुखाना है, मुसल्मानों की दिल शिकनी مَعَاذَاللہ वोह बलाए अ़ज़ीम है कि सारे अ़मल को ख़ाक कर देगी।..... आगे चल कर मज़ीद फ़रमाते हैं : फ़ुक़रा कि आएं कि उन की मुदारात व ख़ातिर दारी में सइ़ये जमील करें, (या'नी ग़रीबों के आने पर उन को ख़ूब मान और इ़ज़्ज़त दें) अपना एह़सान उन पर न रखें बल्कि आते हैं उन का एह़सान अपने ऊपर जानें कि वोह अपना रिज़्क़ खाते और तुम्हारे गुनाह मिटाते हैं, उठाने बिठाने बुलाने खिलाने किसी बात में बरताव ऐसा न करें जिस से उन का दिल दुखे कि एह़सान रखने ईज़ा देने से सदक़ा बिल्कुल अकारत (या'नी बरबाद) जाता है। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 23, स. 158, 159)

ग़रीबों के यहां दा'वत (ह़िकायत)

सुवाल : ग़रीबों के यहां न जाना, सिर्फ़ मालदारों की दा'वत क़बूल करना कैसा ?

जवाब : ऐसा नहीं करना चाहिये। बारगाहे आ'ला ह़ज़रत में ग़रीब घराने का एक बच्चा ह़ाज़िर हुवा, दा'वत पेश की, प्यार से फ़रमाया : क्या खिलाओगे ? उस ने दामन की झोली में मौजूद दाल दिखा कर अ़र्ज़ किया : येह। आप ने दा'वत क़बूल फ़रमा ली। वक़्ते मुक़र्ररा पर उन ग़रीबों के घर तशरीफ़ ले गए, वोही दाल वग़ैरा ह़ाज़िर की गई, ग़िज़ा

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जो मुझ पर एक दिन में **50** बार दुरूदे पाक पढ़े क़ियामत के दिन मैं उस से मुसा-फ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (ابن بشکوال)

तबीअ़ते मुबारका के ना मुवाफ़िक़ होने के बा वुजूद ख़ुशदिली के साथ खा कर ख़ुशी ख़ुशी लौटे । (हयाते आ'ला हज़रत, जि. 1, स. 121 ता 123 ब तसर्रुफ़)

सुवाल : क्या अ़क़ीक़े का गोश्त वलीमे में शामिल (मिक्स) कर सकते हैं ? वक़

जवाब : जी । "वक़ारुल फ़तावा" में है : वलीमे में अ़क़ीक़े का गोश्त शामिल करना और खिलाना जाइज़ है ।[1]

येह रिसाला पढ़ लेने के बा'द सवाब की निय्यत से किसी को दे दीजिये

ग़मे मदीना व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत और बे हिसाब
जन्नतुल फ़िरदौस में आक़ा के
पड़ोस का तालिब
1 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1441 सि. हि.
01-10-2019

ماٰخذ و مراجع

کتاب	مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ
قراٰنِ مجید		جمع الجوامع	دار الکتب العلمیۃ بیروت
بخاری	دار الکتب العلمیۃ بیروت	ابن عساکر	دار الفکر بیروت
مسلم	دار الکتاب العربی بیروت	احیاء العلوم	دار صادر بیروت
ابوداؤد	دار احیاء التراث العربی بیروت	کیمیائے سعادت	انتشارات گنجینہ تہران
ترمذی	دار الفکر بیروت	فتاوٰی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن لاہور
مسند امام احمد بن حنبل	دار الفکر بیروت	فتاوٰی امجدیہ	مکتبہ رضویہ کراچی
الہواتف	المکتبۃ العصریۃ بیروت	وقار الفتاوٰی	بزم وقار الدین کراچی
معجم کبیر	ار احیاء التراث العربی بیروت	فتاوٰی بحر العلوم	شبیر برادرز لاہور
معجم اوسط	دار الکتب العلمیۃ بیروت	بہار شریعت	مکتبۃ المدینہ کراچی
مسند ابو یعلٰی	دار الکتب العلمیۃ بیروت	مراٰۃ المناجیح	ضیاء القراٰن پبلی کیشنز لاہور
الترغیب والترہیب	دار الکتب العلمیۃ بیروت	حیات اعلٰی حضرت	مکتبۃ المدینہ کراچی

مـــــــــــــدینــــــــہ

1 : वक़ारुल फ़तावा, जि. 3, स. 138 मुलख़्ख़सन

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुमे'रात बा'द नमाज़े मग़रिब आप के यहां होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ۞ सुन्नतों की तरबियत के लिये **मदनी क़ाफ़िले** में आशिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ۞ रोज़ाना "**फ़िक्रे मदीना**" के ज़रीए **मदनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा मदनी मक़्सद : "मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है। اِنْ شَآءَاللّٰه عزوجل " अपनी इस्लाह़ के लिये "**मदनी इन्आ़मात**" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**मदनी क़ाफ़िलों**" में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَاللّٰه عزوجل

M.R.P.
₹ 00/-

Faizane Madina, Mirzapur, Ahmedabad-01 9327168200
421, Urdu Market, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-110006
maktabadelhi@gmail.com 011-23284560, 8178862570
www.dawateislamihind.net 9978626025